आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
23/1/21	**न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, खगड़िया** **जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–07/2017** **अंचल अधिकारी, बेलदौर .....वादी** **बनाम** **वासदेव राम वगैरह.....प्रतिवादी** आदेश प्रस्तुत वाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के पत्रांक 1446 दिनांक 17.11.2017 तथा उसके साथ संलग्न जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 17/17–18 के आलोक में संधारित किया गया। जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 17/17–18 की कार्यवाही एक राणा प्रताप सा0–चोढ़ली थाना–बेलदौर द्वारा अंचल अधिकारी, बेलदौर के समक्ष किये गए आवेदन के आलोक में प्रारम्भ हुआ। जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 17/17–18 में अंचल अधिकारी, बेलदौर ने विपक्षीगण के नाम से गठित जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी को भेजा गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी ने दिनांक 04.11.17 को विपक्षीगण को जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा सहित अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को भेजा गया। तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी, गोगनी ने भी विपक्षीगण की जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा अपने पत्रांक 1446 दिनांक 17.11.17 द्वारा करते हुए अभिलेख इस न्यायालय को प्रेषित किया गया। जिसके आलोक में प्रस्तुत वाद को अभिलेख संधारित कर सभी 39 विपक्षियों को नोटिस निर्गत किया गया। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख तथा अभिलेख पर उपलब्ध हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता हे कि विपक्षीगण के नाम से गठित 1 से 39 जमाबंदी में सन्निहित भूमि के वास्तविक भू–स्वामिनी श्रीमति पार्वती देवी एवं सुन्दरी देवी पति–स्व0 संतलाल मंडल सा0–चोढ़ली, थाना–बेलदौर, जिला–खगड़िया थे। जिनकी कुल 55 एकड़ 33 डी0 जमीन अधिशेष भूमि के रूप में सरकार द्वारा गरीब भूमिहीन को वितरित करने हेतु ली गयी थी। इसी बीच भू–स्वामीनी ने अधिगृहित भूमि को मुक्त कराने के लिए मा0 उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्लू0जे0से0 नं0 3268/1983 दायर किये, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने भूमि को वितरित करने पर रोक लगा दिया। तत्पश्चात् दिनांक 11.11.1983 को को माननीय उच्च न्यायालय अपने आदेश के द्वारा प्रश्नगत जमाबंदी की भूमि को मुक्त कर दिये जिसके आलोक में दिनांक 26.12.1994 को अधिसूचना सं0 2/रा0/84 के द्वारा सिलिंग एक्ट की धारा 15(1) के तहत् पत्रांक 8/रा0 82 दिनांक 14.03.82 के द्वारा भू–स्वामिनी	

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

पार्वती देवी एवं सुन्दरी देवी जौ0–स्व0 संतलाल मंडल सा0–चोढ़ली थाना–बेलदौर, जिला–खगड़िया की अधिशेष अर्जित 55 एकड़ 33 डी0 भूमि की अधिसूचना रद्द किया गया, इसी बीच अधिशेष अर्जित भूमि को वाद सं0 1/82–83 के द्वारा 39 व्यक्तियों के नाम दखल दहानी के बिना पर्चा वितरित कर जमाबंदी मूल रूप में गठित कर दिया गया। तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, खगड़िया के पत्रांक 582/रा0 दिनांक 23.11.1995 द्वारा अंचल अधिकारी, बेलदोर से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के संदर्भ में प्रतिवेदन भी मांगे, जिस पर तत्कालीन अंचल अधिकारी, बेलदौर द्वारा पत्रांक 766 दिनांक 29.12.1995 के द्वारा मूल जमाबंदी को पूर्वत करने हेतु राजस्व कर्मचारी को आदेश दिये किन्तु उसका अनुपालन नहीं हो सका।

वर्त्तमान में निम्न न्यायालय ने मान्नीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विपक्षीगण के नाम गठित जमाबंदी 1 से 39 को रद्द करने की अनुशंसा किये है।

प्रस्तुत वाद में विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता से मंतव्य प्राप्त हुआ। जिसमें उन्होंने उपरोक्त वर्णित तथ्यों का समर्थन करते हुए जमाबंदी नं0 1 से 39 को रद्द करते हुए मूल जमाबंदी में पूर्ववत करने का निवेदन किये है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जिस अधिशेष भूमि पर पर्चा निर्गत किया गया है इसकी अधिसूचना को माननीय उच्च न्यायालय ने सी0डब्लू0जे0से0 नं0 3268/83 में दिनांक 11.11.83 द्वारा रद्द कर दिया गया। फलतः उक्त पर्चा के आधार पर मौजा चोढ़ली में गठित जमाबंदी नं0 1 से 39 का गठन निराधार हो गया। अब इस पर अन्य किसी विधि मान्य तरीके से अग्रेतर कार्रवाई संभव नहीं है। संयोगवश अबतक इन पर्चो के अनुसार दखल दिहानी की कार्रवाई नहीं कराई गयी है, इसलिए मात्र जमाबंदी सुधार करते हुए नवगठित जमाबंदी संख्या 1 से 39 में निहित रकवा को उनके मूल जमाबंदी में वापस करते हुए इन जमाबंदी सं0 1 से 39 को रद्द किया जाना आपेक्षित है।

अतः मौजा चोढ़ली के अधिशेष भूमि के वाद सं0 21/73–74 में निर्गत अधिसूचना के आधार पर गठित जमाबंदी सं0 1 से 39 को बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 9 के तहत खंडित किया जाता है तथा तदनुसार इन खंडित जमाबंदियों के उनके मौलिक जमाबंदियों में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बेलदौर को अनुपालन हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

23/11/21
अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञा० सं० 168 दिनांक 23.2.21

प्रतिलिपि - अंचल अधिकारी, बेलदौर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि - N.I.C. खगड़िया को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता
खगड़िया।